न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 226 / 2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 284

प्रार्थी :–

तहसीलदार ओसियां राजस्व तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्यामसिंह पुत्र बदनसिंह, जाति राजपूत, निवासी ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. श्रीमति विमला पत्नी मनसुख जाति सुनार, निवासी तहसील रोड़ ओसियां, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत ओसियां जरिये सरपंच ग्राम पचांयत ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 32 दिनांक 16.07.2004 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (अप्रार्थी संख्या 01 व 02)
2. अधिवक्ता श्री सज्जनसिंह (अप्रार्थी संख्या 03)

आदेश **दिनांक :–25.11.2024**

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 32 दिनांक 16.07.2004 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ओसियां से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सज्जनसिंह ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत ओसियां से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस दिनांक 21.11.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 25.11.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

पंचायत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आबादी ओसियां में खसरा नम्बर 1535 तहसील ओसियां में कार्यरत कर्मचारियों के रहवासीय क्वार्टर

पुराने तहसील बनने के समय से बने हुए है। तहसील कार्यालय ओसियां में संधारित नजूल भूमि रजिस्टर के क्रम संख्या 03 पर दर्ज सरकारी रहवासीय क्वार्टर खसरा नम्बर 1535 रकबा 5.17 बीघा दर्ज है, जो राजकीय नजूल सम्पत्ति है, इसी भूमि पर तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के रहवासीय क्वार्टर बने हुए है। इन्हीं क्वार्टर के पास खुली जमीन पर अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने उक्त निगरानी पेश की है।

प्रार्थी ने पंचायत निगरानी में वर्णित तथ्यों में बतलाया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत ओसियां ने तहसील ओसियां की नजूल सम्पत्ति भूमि एवं क्वार्टर के दक्षिण पूर्व की भूमि पर भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पहले हर खास एवं आम को नोटिस देकर उजर एतराज नहीं मांगे और न ही कोई नोटिस ग्राम पंचायत कार्यालय तथा गांव के सार्वजनिक स्थानों पर साया किया। ग्राम पचांयत ने तहसील ओसियां की नजूल सम्पत्ति को पंचायत की आबादी भूमि गलत बताते हुए पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी ने पंचायत निगरानी में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी किये गये पट्टे में वर्णित भूमि नजूल सम्पत्ति का हिस्सा है। तहसील ओसियां की नजूल सम्पत्ति होने से इसकी सुरक्षा का दायित्व तहसीलदार ओसियां का है। अंत में निगरानीधीन पट्टा विलेख निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्धान अधिवक्ता ने लिखित जवाब पेश कर बतलाया कि प्रार्थी तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रकरण में पूर्ण तथ्य नहीं बतलाये गये है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1535 की 05 बीघा 17 बिस्वा नजूल भूमि होने का निगरानी में उल्लेख किया है जबकि वास्तविकता में खसरा नम्बर 1535 का कुल रकबा 105 बीघा 15 बिस्वा था जिसमें से 98 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी हेतु वर्षों पहले उपलब्ध करवा दी गई जो ग्राम पंचायत के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिस पर ग्राम पचांयत को पट्टा विलेख जारी करने का विधिक अधिकार है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी में यह नहीं बतलाया कि तहसील कार्यालय एवं क्वार्टर हेतु कितनी जमीन कब, किसके द्वारा एवं किस स्थान पर आवंटित की गई तथा कब एवं किसे कब्जा दिया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब में आगे बतलाया कि प्रार्थी ने गलत एवं मनगढन्त तथ्य इस निगरानी में लिखे है अप्रार्थी संख्या एक के नाम ग्राम पंचायत ने विधिवत कार्यवाही करते हुए तथा नियमों की पूर्ण पालना करने के पश्चात पट्टा जारी किया है इस कार्यवाही में किसी तरह की कोई अनियमितता

नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या एक का उक्त भूमि पर वर्षो पुराना मकान एवं चार दिवारी बने हुए थे तथा जिन पड़ौसियों के बीच की भूमि का पट्टा अप्रार्थी के नाम जारी किया गया वह नजूल भूमि नहीं है। अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए सर्वसम्मति से पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि अप्रार्थी के नाम जारी किये गये पट्टे वाली भूमि नजूल भूमि का भाग है। पटवारी हल्का ने द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करते हुए मौके के हालात के विपरीत जाकर अप्राथी की गैर मौजूदगी में रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार के समक्ष पेश की एवं उसी को आधार मानकर तहसीलदार ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर दिया जबकी मौके के हालात को उसके वास्तविक रूप में दर्शाते हुए एक नजरी नक्शा अप्रार्थी द्वारा इस जवाब के साथ पेश किया जा रहा है। प्रार्थी स्वयं तहसीलदार ओसियां ने बतौर उप पंजीयक के उस बेचान दस्तावेज का पूर्ण मुद्रांक शुल्क लेते हुए पंजीयन किया है जिस पंजीकृत बेचाननामें को इस निगरानी के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या एक की मालकीयत कतई दोषपूर्ण नहीं है। प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि इस मामले में राज्य सरकार का कोई हित निहित हो अप्रार्थी संख्या एक को जिस आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया वह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है न की तहसील की नजुल भूमि है इस कारण तहसीलदार को इस मामले में निगरानी पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है। यदि उपरोक्त भूमि वक्त बन्दोस्त तहसील की नजूल भूमि होती तो अवश्य ही तत्कालीन राजस्व नक्शे में इस बाबत तरमीम कर दी गई होती। अप्रार्थी संख्या 02 का मौके पर रहवासीय मकान बना हुआ जिसमें उसका निवास है। प्रार्थी का उक्त कथन सरासर गलत है कि अप्रार्थी द्वारा हाल ही में मौके पर पत्थर डलवाने पर उसे निगरानीधीन पट्टे की जानकारी हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी मियाद बाहर है। अप्रार्थी संख्या एक के नाम सन 2004 में पट्टा जारी किया गया जिसके विरूद्ध इतने लम्बे समय बाद यह निगरानी पेश की गई है जो मियाद बाहर होने से भी निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली व ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रथमतः ग्राम पचांयत ओसियां द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टे को उपपंजीयक ओसियां (तहसीलदार ओसियां) के समक्ष दिनांक 23.07.2004 को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पेश कर पंजीकृत करवाया गया इससे स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टे की जानकारी

प्रार्थी को वर्ष 2004 से ही हो गई थी। इसके बाद अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त पट्टे में वर्णित भूमि का रजिस्टर्ड बेचान अप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 03.10.2011 को किया गया। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा उपपंजीयक ओसियां के समक्ष निष्पादित किया गया। अतः उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को पुनः 2011 में हो गई थी फिर भी प्रार्थी तहसीलदार ओसियां द्वारा अत्यधिक विलम्ब से उक्त निगरानी पेश की गई। द्वितीयतः प्रार्थी का प्रकरण में मुख्य कथन रहा कि ग्राम पंचायत द्वारा नजूल सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को नजूल सम्पत्ति पर पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण में इस बाबत् तहसीलदार ओसियां से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार ओसियां ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि ग्राम ओसियां के खसरा नम्बर 1535 रकबा 98.17 बीघा वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 1279 में ग्राम पंचायत के अधीन है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नजूल सम्पत्ति का उल्लेख नहीं है। नजूल सम्पत्ति का विवरण का आधार भू0अ0 शाखा में स्थित नजूल रजिस्टर है किन्तु वक्त सैटलमेंट से आज दिनांक इससे राजस्व रिकॉर्ड में कही नहीं दर्शाया गया है अर्थात् नजूल सम्पति की तरमीम नहीं हुई है। नजूल रजिस्टर में रकबा अनुसार नक्शा अंकित नहीं है। न ही वर्तमान नक्शा लट्टा ट्रेस में रकबा 5.17 बीघा का अंकन है। इस आधार पर निगरानीधीन पट्टे की भूमि नजूल सम्पत्ति होना प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने व सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)